

(1) सिविल अपील क्रमांक: 46 / 2014

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

सिविल अपील क्रमांक: 46 / 14  
संस्थापन दिनांक 30.08.2012  
फाइलिंग नं-230303001972012

1. श्रीमती मंजीत कौर बेवा पत्नी भगवानसिंह  
आयु 62 साल जाति सिख धंधा खेती निवासी  
अमरपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. श्रीमती अमरजीत कौर बेवा पत्नी इन्द्रजीतसिंह  
आयु 30 साल जाति सिख धंधा खेती निवासी  
ग्राम अमरपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. कु0 राजदीप आयु 12 साल
4. नवदीप सिंह आयु 10 साल
5. सचिनसिंह आयु 8 साल नाबालिग पुत्री व पुत्रगण  
इन्द्रजीतसिंह जाति सिख समस्त नाबालिग सरपरस्त  
माँ श्रीमती अमरजीत कौर बेवा पत्नी इन्द्रजीतसिंह माँ  
स्वयं निवासीगण ग्राम अमरपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
.....अपीलार्थी / वादीगण

**बनाम**

1. तरजेन्द्रसिंह पुत्र गुरमेजसिंह आयु 37 साल  
जाति सिख निवासी ग्राम पंजाबपुरा पुरानी छावनी  
लश्कर ग्वालियर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा:-  
, श्रीमान कलैक्टर महोदय,  
जिला भिण्ड म0प्र0  
..... प्रतिवादी / प्रत्यर्थीगण

---

अपीलार्थी / वादीगण द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-1 द्वारा श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-2 एक पक्षीय ।

---

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक-35ए/11 ई.दी. में पारित  
निर्णय दिनांक 30.07.2012 से उत्पन्न सिविल अपील।

---

(शा)

**—::— निर्णय —::—**

(आज दिनांक 05 जुलाई 2016 को घोषित किया गया)

1. वादी/अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 35ए/11 ए इ0दी0 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 30.07.2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद को खारिज किया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी/अपीलार्थी श्रीमती मंजीत कौर के पति भगवानसिंह सिख का पूर्व में देहांत हो चुका है। तथा उसके दो पुत्र इन्द्रजीतसिंह व महेन्द्रसिंह थे जिनमें से इन्द्रजीतसिंह का दिनांक 07.09.09 को देहांत हो चुका है जिनके वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक-2 लगायत 5 वारिस हैं। प्रकरण में वाद पत्र की कण्डिका-2 में उल्लेखित कृषि भूमि के सर्वे नंबर और रकवा भी स्वीकृत हैं। यह भी निर्विवादित है कि इन्द्रजीत सिंह के द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी तरजेन्द्रसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.08 के मुताबिक अपनी अंश भूमि विक्रय की है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि मौजा अमरपुर परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-148 रकवा 0.53, सर्वे नंबर-149 रकवा 0.60, सर्वे नंबर-155 रकवा 0.18, सर्वे नंबर-156 रकवा 0.96, सर्वे नंबर-157 रकवा 0.51, सर्वे नंबर-160 रकवा 0.37, सर्वे नंबर-161 रकवा 0.38, सर्वे नंबर-162 रकवा 1.15, सर्वे नंबर-163 रकवा 2.49, सर्वे नंबर-166 रकवा 0.16, सर्वे क्रमांक-167 रकवा 1.12, सर्वे नंबर-169 रकवा 1.05, सर्वे नंबर-170 रकवा 0.63, सर्वे नंबर-175 रकवा 0.98, सर्वे नंबर-177 रकवा 3.00, सर्वे नंबर-178 रकवा 0.54, सर्वे नंबर-180 रकवा 0.26, सर्वे नंबर-181 रकवा 0.25, सर्वे नंबर-183 रकवा 1.14, सर्वे नंबर-208 रकवा 1.22, सर्वे नंबर-217 रकवा 0.26, सर्वे नंबर-218 रकवा 1.14, सर्वे नंबर-219 रकवा 1.58, सर्वे नंबर-342 रकवा 0.10, कुल किता 24 कुल रकवा 20.60 है0 लगानी 384 रुपये में वादी क्रमांक-1 मनजीत कौर बेवा भगवानसिंह का हिस्सा रकवा 2.83 है0 तथा इन्द्रजीतसिंह का हिस्सा 3.07 है। जो एक बहुत बड़ा खाता है जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। इन्द्रजीत सिंह को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी न ही उसके द्वारा कोई भूमि विक्रय की गई है। इन्द्रजीतसिंह की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 21.11.06 को प्रतिवादी क्र0-2 तरजेन्द्रसिंह को विक्रय कर शराब के नशे में बिना किसी प्रतिफल के इन्द्रजीत के हिस्सा 3.07 में से मिन रकवा 0.54 यानि दो बीघा चौदह विस्वा का विक्रय पत्र अपने पक्ष में करा लिया है। जबकि इन्द्रजीतसिंह द्वारा कोई विक्रय पत्र संपादित नहीं किया गया।
4. उक्त विक्रय पत्र में उक्त सर्वे नंबर का कब्जा देना लिखाया गया

है कि उसके बगल के खेत में से 12 फीट का रास्ता देंगे। अर्थात् क्रेता को बारह फीट का रास्ता विक्रेता को छोड़ेगा। इस प्रकार एक संयुक्त खाते के विक्रेता को एक निश्चित सर्वे नंबर देने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है न ही ऐसा कोई क्रेता को कब्जा प्राप्त होता है। प्रतिवादी क्र०-21 ने वादीगण के घर पर आकर यह धौंस दी कि उस पर इन्द्रजीतसिंह ने वयनामा करा लिया है। इसलिये अब वह खेती करेगा। तथा यह भी धौंस दी कि इस वर्ष वह खेती करेगा। वह खुंखार व्यक्ति है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी क्र०-1 के पक्ष में मूलतः विक्रय पत्र दिनांक 21.11.08 को निःस्वत्व व प्रभावहीन घोषित किये जाने एवं सर्वे नंबर-178 पर प्रतिवादी द्वारा कोई कब्जा नहीं किये जाने तथा सर्वे नंबर-177 मौजा अमरपुर परगना गोहद जिला भिण्ड से कोई रास्ता नहीं किये जाने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र.-1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया कि विवादित भूमि के संबंध में घरू बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर सभी लोग खेती कर रहे थे। घरू बंटवारे में वादीगण एवं मृतक इन्द्रजीतसिंह अपने अपने सर्वे नंबर पर खेती कर रहे थे। मृतक इन्द्रजीत सिंह के द्वारा घरू बंटवारे में प्राप्त सर्वे नंबर-178 रकवा 0.54 है० प्रतिवादी क्रमांक-1 को विक्रय कर कब्जा दिया गया है। विक्रय पत्र दिनांक से ही प्रतिवादी क्र०-1 की खेती हो रही है। इन्द्रजीतसिंह को घरू खर्च की आवश्यकता होने से वादग्रस्त भूमि उसने प्रतिवादी क्र०-1 को विक्रय की थी। वादीगण ने वाद पत्र में प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा इन्द्रजीत को शराब पिलाकर विक्रय पत्र निष्पादित कराने की बात गलत लिखाई है। सर्वे नंबर-178 में पहुंचने के लिये उन्हीं सर्वे नंबरान से होकर रास्ता उपयोग करता था। वही अधिकार इन्द्रजीतसिंह ने उसे भी अंतरित किया था। विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व की नहीं है बल्कि इन्द्रजीतसिंह के स्वत्व व आधिपत्य की होने से उसे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। उसने कोई धौंस नहीं दी है न ही परेशान किया है अतः वादगण का दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 30.07.2012 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया है। कृषि भूमि का खाता शासकीय रिकॉर्ड में शामिल खाते के रूप में दर्ज है। जबतक कोई बंटवारा नहीं हो जाता तब तक वह संयुक्त खाता ही माना जावेगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया मंजीत कौर के प्रतिपरीक्षण में हिस्सा शब्द का प्रयोग किया जिसका गलत अर्थ निकाला है। प्र०पी०-4 में संयुक्त खाता लिखा हुआ है। प्र०पी०-3 में हिस्सा विक्रय लिखा है।

(शारु)

विक्रय पत्र के विपरीत न्यायालय द्वारा जो बंटवारे का निष्कर्ष निकाला है वह विधिके विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की कण्डिका-14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि मंजीत कौर एवं बड़े लडके महेन्द्रसिंह द्वारा विक्रय किया है तो इन्द्रजीतसिंह विक्रय क्यों नहीं कर सकता। कानून के अनुसार हिस्सेदार विक्रय तो कर सकता है लेकिन इन्द्रजीत सिंह द्वारा कोई विक्रय स्वेच्छया या होशोहवास में नहीं किया गया है।

7. यह भी आधार लिया गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 21.11.08 जो प्र0पी0-3 है जिसमें यह लिखना कि सर्वे नंबर-178 पर कब्जा दिया गया है तथा यह लिखा जाना कि विक्रेता उसे बगल के खेत में से 12 फीट का रास्ता देंगे जो गलत है। निर्णय की कण्डिका-16 पर भी आक्षेप किया है। बंटवारा न होने से इन्द्रजीत को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे।
8. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-46ए/14 इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2012 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

--:- निष्कर्ष के आधार --:-

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण

9. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
10. वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादी/अपीलार्थीगण व इन्द्रजीतसिंह का शामिलाली खाता है। उनका आपस में कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त खाते की भूमि में से विशिष्ट भूमि को सह हिस्सेदार को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होता है तथा इन्द्रजीत सिंह को अपने जीवनकाल में भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इन्द्रजीतसिंह ने कोई भूमि तरजेन्द्रसिंह को विक्रय नहीं की। बल्कि तरजेन्द्रसिंह ने इन्द्रजीत सिंह को शराब पिलाकर नशे में वयनामा निष्पादित करा लिया है। वास्तव में कोई वयनामा इन्द्रजीतसिंह द्वारा संपादित नहीं कराया गया है। न ही

कोई प्रतिफल प्राप्त किया, न कब्जा दिया। तथा वयनामा में सर्वे नंबर-178 की भूमि में जाने के लिये 14 फीट चौड़ा रास्ता वास्तव में नहीं है जिसे विक्रय पत्र में गलत तरीके से लिखाया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वयनामा को सही मानकर तथा 12 फीट चौड़े रास्ते को स्वीकृत मानकर मूल वाद को खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। जबकि मामला एकपक्षीय था। वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं था। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में सुस्थापित सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री प्रदत्त की है। जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसलिये आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद डिक्री किया जावे।

11. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए मूलतः यह व्यक्त किया गया है कि प्रत्यर्थी/वादीगण मंजीत कौर एवं उसके दोनों पुत्र इन्द्रजीतसिंह व मंजीतसिंह का घरेलू आपसी बंटवारा पूर्व में ही हो चुका था और वह अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त थे। इन्द्रजीतसिंह के द्वारा घरू खर्च के लिये निजी आवश्यकता होने से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 को भूमि विक्रय की गई थी स-प्रतिफल और कब्जे का आदान-प्रदान करते हुए की गई। वादी/अपीलार्थीगण ने झूठे व मन गढन्त अभिवचन करते हुए असत्य दावा प्रस्तुत किया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय होने के बावजूद निरस्त किया है और ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के द्वारा इन्द्रजीतसिंह को शराब पिलाकर उससे नशे में वयनामा करा लिया गया हो तथा वयनामा दावा प्रस्तुति के काफी पूर्व का है जिसे इन्द्रजीतसिंह की मृत्यु के बाद अकारण प्रश्नगत किया गया है। जो कि जमीन की कीमतें बढ़ जाने से लालच के कारण किया गया। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होकर पुष्टि योग्य है और प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील बे-बुनियाद होने से सव्यय निरस्त की जावे।

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य निर्णय व डिक्री का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर चिन्तन, मनन किया गया। यह सही है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद एकपक्षीय रूप से होने के बावजूद अस्वीकार कर खारिज किया गया है। जहाँ तक यह प्रश्न है कि एकपक्षीय होने के आधार पर वाद डिक्री हो सकता है या नहीं। इस संबंध में सुस्थापित सिविल विधि है कि सिविल वाद का निराकरण प्रबल संभावनाओं के आधार पर किया जाता है तथा यह भी सुस्थापित है कि सिविल वाद का प्रमाण भार भी वादी पर ही होता है कि वह अपने वाद को स्वयं की सामर्थ्य से प्रमाणित करे और वादी को इस आधार पर कोई डिक्री प्राप्त नहीं हो सकती है कि वाद में प्रतिवादी एकपक्षीय होकर अनुपस्थित है या उसकी ओर से वादी साक्षियों पर प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। या कोई खण्डन साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जैसाकि न्याय

(शार)

दृष्टांत दूल्हेसिंह विरुद्ध जुझारू सिंह 1995 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-170 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये वादी/अपीलार्थीगण को अपने वाद आधारों को प्रमाणित करने का भार रहेगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-17 में इस संबंध में धारा-101 व 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण किया है।

13. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मूल वाद में वादी/अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं श्रीमती मंजीत कौर वा0सा0-1 का अभिसाक्ष्य कराया है। समर्थन में अवतारसिंह वा0सा0-2 का साक्ष्य कराया है जिन पर प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रतिपरीक्षण भी किया गया था अतः वह एकपक्षीय हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्र0पी0-1 लगायत 5 के दस्तावेज पेश किये गये हैं जिनका अभिलेख पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। लेकिन यह गुण-दोषों पर देखना होगा कि क्या वादी/अपीलार्थीगण की मूल वाद में प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य विश्वसनीय होकर वादी/अपीलार्थीगण के वाद आधारों को प्रमाणित करती है।
14. मूल वाद में वादी/अपीलार्थीगण की ओर से जो अभिवचन किये गये, उसमें मूलतः यह आधार लिया गया है कि उनका व इन्द्रजीत का शामिलाली खाता था कोई बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिये इन्द्रजीत को विशिष्ट सर्वे नंबर विक्रय करने का अधिकार नहीं था जबकि प्र0पी0-3 के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 21.11.08 की प्रमाणित प्रतिलिपि में जो भूमि विक्रय की गई है वह इन्द्रजीतसिंह के निजी आधिपत्य में एकांकी रूपसे नहीं थी और उसे विक्रय का अधिकार नहीं था। तथा दूसरा आधार यह लिया गया है कि इन्द्रजीत सिंह को रूपयों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये उसने कोई भूमि विक्रय नहीं की और प्र0पी0-3 का वयनामा बनावटी है। तीसरा आधार यह लिया गया है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी जो तरजेन्द्रसिंह ने इन्द्रजीत सिंह को बहकाकर शराब के नशे में बिना प्रतिफल लिये व दिये वयनामा अपने हितबद्ध साक्षियों की मिली भगत से संपादित करा लिया है और उसमें गलत तरीके से 12 फीट चौड़े रास्ते का उल्लेख भी अवैध रूप से करा लिया है। वादोत्तर के अभिवचनों में उक्त आधारों का खण्डन किया गया था। हालांकि किये गये खण्डन के प्रमाण में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दी गई इसलिये वादी/अपीलार्थीगण की लेखी व मौखिक साक्ष्य का सूक्ष्मता से और सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है।
15. वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा मूल वाद में जिस तरह के अभिवचन किये गये हैं उसमें इस बात को तो स्वीकार किया गया है कि इन्द्रजीतसिंह द्वारा प्र0पी0-3 के वयनामे का निष्पादन तो किया गया है किन्तु वह बिना प्रतिफल के है और शराब के नशे में बहकाकर कराया गया है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य में श्रीमती मंजीत कौर वा0सा0-1 द्वारा इस बात को प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि उसके पति का देहांत हो चुका है और पति के देहांत के बाद उसके व उसके दोनों पुत्रों

महेन्द्रसिंह व इन्द्रजीत सिंह के नाम जमीन आई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि वह अपने छोटे लडके इन्द्रजीत सिंह के साथ रहती थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके बड़े लडके महेन्द्रसिंह पर सोलह बीघा जमीन आई थी जो उसने बेच दी है और वह भी मौजा अमरपुर में ही थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि चार बीघा भूमि उसने भी बेची है। यह भी कहा है कि उसके छोटे लडके इन्द्रजीत सिंह के हिस्से में 32 बीघा जमीन आई थी। यह भी स्वीकार किया है कि बड़ा लडका अर्थात् महेन्द्रसिंह अपने हिस्से की जमीन को अलग करता है और छोटे लडके अर्थात् इन्द्रजीत सिंह की जमीन को बंटाई पर शामिलाली वे कराते हैं। इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति वादी के अन्य साक्षी अवतारसिंह वा0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में की है। हालांकि दोनों साक्षियों ने यह भी कहा है कि उनका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आई मौखिक साक्ष्य के आधार पर मंजीत कौर और उसके लडकों महेन्द्रसिंह व स्व0 इन्द्रजीत सिंह के मध्य बाहमी तौरपर घरेलू बंटवारा होना माना है।

16. अभिलेख पर भूमि शामिलाली होने और बंटवारे के संबंध में जो साक्ष्य है उसमें पेश किये गये प्र0पी0-4 की किस्तबंदी खतौनी की पेश की गई नकल वर्ष 2009-10 की है जिसमें खाता क्रमांक-97 में इस प्रकरण में विवादित बताये गये सर्वे क्रमांक-148, 149, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 169, 170, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 208, 217, 218, 219 और 342 में अन्य खातेदारों के अलावा मंजीत कौर रकवा 2.83 रकवा 2.83 है0 के स्वामी महेन्द्रसिंह व इन्द्रजीतसिंह पुत्रगण भगवानसिंह समान रूप से रकवा 6.14 है0 के स्वामी इन्द्राजित हैं। अलग अलग उनके वैधानिक बंटवारों का उसमें उल्लेख अवश्य नहीं है किन्तु घरू बंटवारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बताकर आया है और वा0सा0-1 व 2 के अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षा में जिस प्रकार से मंजीत कौर और उसके पुत्रों महेन्द्रसिंह व इन्द्रजीतसिंह के अलग अलग काबिज कास्त होने की स्वीकारोक्ति की गई है। इससे यह तथ्य दृढ़ता से स्थापित होता है कि मंजीत कौर और उसके पुत्रों के मध्य पारिवारिक स्तर पर बंटवारा विवादित संपत्ति का हो चुका है। ऐसी स्थिति में बंटवारे की उपधारणा की जावेगी। तथा पारिवारिक व्यवस्थापन जिसके तहत हकदार व्यक्तियों के मध्य आपसी तौर पर हिस्सा बंट जाते हैं। उनके संबंध में **रैना विरुद्ध चेताराम 1993 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-33** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि पारिवारिक व्यवस्थापन को विभाजन की भांति मान्य किया जाना चाहिए। उक्त सिद्धान्त हस्तगत मामले में इसलिये लागू किये जाने योग्य है क्योंकि स्वयं वादी साक्षी इन्द्रजीत का अलग हिस्सा महेन्द्र के अलावा हिस्सा होना अलग-अलग उनकी खेती होना बताकर आये हैं तथा जिस वयनामा को चुनौती दी गई है उसके अलावा स्वयं मंजीत कौर के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि बेची गई और महेन्द्रसिंह के द्वारा भी भूमियाँ बेची जा चुकी हैं। जैसा कि स्वीकार किया गया है और यह सुस्थापित

(शारु)



विधि है कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिये अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 में स्पष्ट प्रावधान है। ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थीगण का यह आधार खण्डित हो जाता है कि विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति होकर संयुक्त हिन्दू परिवार के शामिलाली खाते की है, यह भी खण्डित हो जाता है कि इन्द्रजीत सिंह को संपत्ति विक्रय का अधिकार एकांकी तौर पर नहीं था।

17. जहाँ तक यह आधार लिया गया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी तरजेन्द्रसिंह द्वारा बिना प्रतिफ दिये प्र०पी०-3 का वयनामा इन्द्रजीतसिंह को शराब के नशे में बहकाकर अपने हितबद्ध व्यक्तियों की मिली भगत से करा लिया गया। इस संबंध में अभिलेख पर वादी/अपीलार्थीगण की न तो सुदृढ़ साक्ष्य है न ही अभिवचन है कि यह जानकारी उन्हें कैसे है कि वयनामा इन्द्रजीतसिंह को शराब पिलाकर बहकाकर उसके नशे में करा लिया गया है। क्योंकि इसके संबंध में अ०सा०-1 व 2 जानकारी का कोई स्त्रोत नहीं बताते हैं। जबकि इस संबंध में प्र०पी०-3 की दस्तावेजी साक्ष्य को देखा जाये तो प्र०पी०-3 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इन्द्रजीतसिंह के द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमि के हिस्सा रकवा 3.07 है० में से मिन रकवा 0.54 है० अर्थात् दो बीघा चौदह विस्वा भूमि को दो लाख सत्तर हजार रुपये प्रतिफल में विक्रय करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.11.08 को कराया गया है और उक्त प्रतिफल राशि क्रेता से उप पंजीयन कार्यालय के बाहर प्राप्त कर लिया जाना उल्लेखित है जिस बात का उप पंजीयन का प्रमाणीकरण भी पृष्ठ क्रमांक-2 के पृष्ठ भाग पर किया गया है।

18. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन्द्रजीतसिंह की मृत्यु स्वीकृत तौर पर दिनांक 07.09.09 को हुई। अर्थात् प्र०पी०-3 का वयनामा इन्द्रजीतसिंह के जीवनकाल में ही हुआ है और कर्ज मृत्यु के करीब 10 माह पूर्व का है। मूल वाद इन्द्रजीतसिंह की मृत्यु के बाद पेश किया गया है। अर्थात् प्र०पी०-3 के वयनामा को इन्द्रजीतसिंह के जीवनकाल में कोई चुनौती नहीं दी गई। क्योंकि मूल वाद दिनांक 15.10.10 को पेश किया गया था। इसलिये शराब के नशे में वयनामा का वाद आधार स्वमेव ही खण्डित हो जाता है। क्योंकि उसके संबंध में कोई स्पष्ट व सुदृढ़ न तो अभिवचन है न ही साक्ष्य है। इसलिये उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राह्य न कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

19. जहाँ तक वयनामा में बारह फीट चौड़ा रास्ता विक्रीत भूमि पर आने जाने के लिये छोड़े जाने का प्रश्न है, जिसे वादी/अपीलार्थीगण ने अवैधानिक शर्त बताया है। किन्तु इसके संबंध में अभिलेख पर जो स्वयं वादी/प्रत्यर्थी की साक्ष्य आई उसमें इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति दोनों ही वादी साक्षियों ने की है कि विक्रीत खेत पर जाने के लिये अलग से कोई रास्ता नहीं है और खेतों में से ही जाते हैं। अर्थात् यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि विवादित खेत पर जाने के लिये उनके ही खेतों पर जाना पड़ेगा। ऐसे में प्र०पी०-3 के विक्रय पत्र में विक्रीत भू-भाग सर्वे क्रमांक-178 रकवा 0.54 है० पर बगल के खेत में से आने



जाने के लिये रास्ता विक्रेता द्वारा छोड़े जाने की शर्त को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है। क्योंकि कोई भी क्रेता विक्रीत भूमि पर किसी लगी हुई भूमि से ही जा सकता है, हवाई मार्ग से जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 12 फीट रास्ते के संबंध में ही विक्रय पत्र का भाग मान कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

20. इस प्रकार से अभिलेख पर जो स्वयं वादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य है, उससे ही वादी/अपीलार्थीगण के लिये गये वाद आधारों का स्पष्टतः खण्डन हो जाता है। तथा प्र0पी0-3 के विक्रय पत्र के संबंध में किये गये आक्षेपों कि वह वगैर प्रतिफल के सही कब्जे का आदान प्रदान नहीं हुआ, नशे की हालत में बहकाकर कराया गया, इस तरह के आधार स्वयं मूल विक्रेता इन्द्रजीतसिंह तो ले सकता था किन्तु अन्य उत्तराधिकारी नहीं ले सकते थे। क्योंकि वे न तो विक्रय पत्र के साक्षी हैं, न ही उनका ऐसा कोई आधार है कि विक्रय पत्र उनकी जानकारी में या उनके समक्ष हुआ और इन्द्रजीत सिंह के जीवनकाल में वयनामा को चुनौती न देकर उसकी मृत्यु के काफी समय पश्चात चुनौती देना इस बात का परिचायक है कि वादी/अपीलार्थीगण सद्भावी नहीं हैं। न ही वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आये हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद एकपक्षीय होने के बावजूद निरस्त करने में कोई गंभीर विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में कोई विधिक बल नहीं है। परिणामस्वरूप वादी/अपीलार्थीगण की मूल प्रथम सिविल अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की यथावत पुष्टि की जाती है।

21. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक— 05.07.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सा.  
(शासकीय)